तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अह... हुक्म में
	वास्ते तलबी दि. 28/09/21 को पेश हो [हस्ताक्षर] पुनश्च: इतना लिखने पर वादी वकील ने बताया कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री के.के जीनगर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका है जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब दि. 28/09/21 को पेश हो [हस्ताक्षर]	
28/9/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली सामान्य आदेश दिनांक 30/9/21 को पेश हो। विपक्षी सं. 1 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित आज्ञा से रीडर	
30/9/2021	पत्रावली पेश हुई वोकिल वादी/प्रतिवादी उपस्थित वोकिल प्रतिवादी द्वारा विपक्षी सं. 2 व 3 को वकालतनामा/जवाब पेश किया गया, जिसे शा०मि० किया जाकर प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री जारी कि जावे। पत्रावली वास्ते विभाजन [illegible] दिनांक 5/10/21 को पेश हो [हस्ताक्षर]	
5.10.21	पत्रावली पेश हुई वोकिल वादी, तहसीलदार बहेड़ी से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से पत्रावली में अंतिम डिक्री जारी कि जाती है। डिक्री [illegible] अपील अवधि गुजरने के बाद रेकार्ड में [illegible] निर्णय पत्र व [illegible] लिखवाया जाकर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

—::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::—
(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी श्री अंशुलसिंह आर ए एस
प्रकरण संख्या 21/2021 राजस्व वाद
निर्णय दिनांक 05/10/2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अनवान

1— श्री नूरबानू पत्नि सालुखां जाति कायमखानी निवासी — अकबरपुरा मजरा लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0 .... वादीया

बनाम

1— श्रीमती कंचनकंवर पुत्री शंभुसिंह जाति राजपुत निवासी — सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2— श्री चेतनसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी — सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0व
3— श्रीमती छाउकंवर पत्नि गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी — सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4— श्रीमती राजकंवर पत्नि देबीसिंह जाति राजपुत निवासी — सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
5— स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
6— आई.सी.आई.सी.आई. बैक लिमीटेड शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वादी तथा वादी के वकील उपस्थित । उक्त वाद में आदेश दिया जाता है और डिक्री कि जाती है की वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 स्वीकार किया जाता है । अतः वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 618 का खसरा संख्या 59 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि विभाजन की निम्नानुसार एतद् द्वारा आज्ञा पारित कि जाती है । उक्त वाद में आदेश दिया जाता है और डिक्री कि जाती है की वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 स्वीकार किया जाता है । अतः वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 618 का खसरा संख्या 59 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि विभाजन की निम्नानुसार एतद् द्वारा आज्ञा पारित कि जाती है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

— श्रीमती नूरबानू पत्नि सालूखां कायमखानी सा. अकबरपुरा खातेदार

खसरा संख्या		रकबा
398/59		**0.0712 हैक्टेयर**
कुल किता–1	रकबा	**0.0712 हैक्टेयर**

— कंचनकंवर पुत्र शंभूसिंह 1/12 राजपूत , चैतनसिंह पुत्र गोपालसिंह 1/3 राजपूत रहिन पूर्ण खाता एस.बी.आई. रायला , छाऊकंवर पत्नि गोपालसिंह 1/3 हि. राजपूत रहिन एस.बी.आई. रायला , राजकंवर पत्नि देबीसिंह हि0 1/4 रहिन पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैक लि. शाखा रायला खातेदार ।

खसरा संख्या		रकबा
399/59		**0.2576 हैक्टेयर**
कुल किता–1	रकबा	**0.2576 हैक्टेयर**

प्रतिवादी सख्या 05,06,07 ओपचारिक पक्षकरान होने से उनके विरूद्ध वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है । प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न्हीं किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित है।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री अंशुल सिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 21 / 2021

अनवान

1— श्री नूरबानू पत्नि सालुखां जाति कायमखानी निवासी – अकबरपुरा मजरा लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0 .... वादीया

बनाम

1— श्रीमती कंचनकंवर पुत्री शंभुसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

2— श्री चेतनसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

3— श्रीमती छाउकंवर पत्नि गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

4— श्रीमती राजकंवर पत्नि देबीसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

5— स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

6— आई.सी.आई.सी.आई. बैक लिमीटेड शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

7— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 53, 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री मुरारी जोशी वकील वादी

—:: निर्णय ::—

दिनांक 30.09.2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 618 का खसरा संख्या 59 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 शामलाति हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है। जिस पर पक्षकारान का मौके पर अपने अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज है। किन्तु रेकार्ड में शामलाती दर्ज है। जिसके सम्बंध में आये दिन विवाद होने के कारण उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाण्ड के आधार पर विभाजन करते हुये वादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग अलग अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:50:36 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजुद सूचना के अनुपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है एंव प्रतिवादी संख्या 5 से 7 तक औपचारिक पक्षकार है ।

3. वादीया ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

4. वकील वादीया ने वादपत्र में आये तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस की। प्रतिवादी क्रम–1 व 4 की ओर से कोई आपत्ति एवं एतराज रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 औपचारिक पक्षकार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया । ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र बाबत विभाजन जायदाद स्वीकार योग्य है।

–::प्रारम्भिक डिक्री आदेश::–

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 से 4 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 618 का खसरा संख्या 59 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 शामलाति हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है। जिसे मिट्स एण्ड बॉउण्डस के आधार पर विभाजन का प्रारम्भिक आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार भूभाग को विभाजित किये जाने हेतू तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर राज. काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव तैयारी की दौरान मौके उपस्थित रहने बाबत् सुचित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है। प्रारम्भिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, ज़िला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री अंशुल सिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 21/2021

:मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री::–

अनवान

1– श्री नूरबानू पत्नि सालुखां जाति कायमखानी निवासी – अकबरपुरा मजरा लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
.... वादीया

बनाम

1– श्रीमती कंचनकंवर पुत्री शंभुसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

2– श्री चेतनसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

3– श्रीमती छाउकंवर पत्नि गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

4– श्रीमती राजकंवर पत्नि देबीसिंह जाति राजपुत निवासी – सरदारपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

5– स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

6– आई.सी.आई.सी.आई. बैक लिमीटेड शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 53, 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील वादी

वादीया की ओर से उनके वकील श्री मुरारी जोशी की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 30.09.2021 को न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 01 से 4 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की खातेदारी खाता संख्या 618 का खसरा संख्या 59 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि में अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त शामलाती भूमि को मिट्स एण्ड बॉउण्डस के आधार पर विभाजित किये जाने का प्रारम्भिक आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 से 4 के मध्य विभाजित किये जाने हेतू तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा राज. काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव तैयारी के दौरान मौके पर उपस्थित रहने बाबत् सुचित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। पक्षकारान के हक हिस्से की भूमि तक पहुचने हेतू यदि आवश्यक हो तो रास्ते के सम्बंध में समुचीत प्रस्ताव भी तैयार किये जावें। इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है। प्रारम्भिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:36 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 30–9–2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/राजस्व वाद प्र.स. 21/2021 दिनांक 30/9/2021

प्रतिलिपि:– तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं ओदष के विभाजन प्रस्ताव तैयार